[2021] 10 एस.सी.आर. 1009

श्रीमती. मीना पवैया एवं अन्य।

बनाम

अशरफ अली एवं अन्य।

(सिविल अपील संख्या 6724 2021)

18 नवंबर, 2021

[एम. आर. शाह और संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: धारा 168 - न्यायसंगत मुआवजा - घातक दुर्घटना - दुर्घटना के समय 21-22 वर्ष की आयु का पीड़ित-मृतक और सिविल इंजीनियरिंग में तीसरे वर्ष का छात्र - जब मृतक की 21-22 वर्ष की कम आयु में मृत्यु हो गई थी और मृत्यु/दुर्घटना के समय कमाई नहीं कर रहा था, तो भविष्य के आर्थिक नुकसान का निर्धारण करने के उद्देश्य से आय हमेशा अनुमान के आधार पर की जाती है, जिसमें कई परिस्थितियों जैसे कि शैक्षिक योग्यता और परिवार की पृष्ठभूमि आदि पर विचार किया जाता है - सिविल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में पढ़ने वाले मृतक का भविष्य उज्ज्वल था, उसकी आय को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह माना जाना चाहिए था, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि श्रमिकों/कुशल मजदूरों को वर्ष 2012 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भी 5,000 रुपये प्रति माह मिल रहे थे - एक बार जब ऐसी राशि प्राप्त हो जाती है तो वह भविष्य की संभावना/भविष्य में आय में वृद्धि पर जोड़ का हकदार होगा - इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि जीवन यापन की लागत में वृद्धि भी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित करेगी - इस प्रकार, ऐसे मृतक के मामले में भी, जो मृत्यु के समय सेवा नहीं कर रहा था और जिसकी मृत्यु के समय कोई आय नहीं थी, उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी आय में भविष्य की वृद्धि को जोड़कर भविष्य की संभावनाओं के हकदार होंगे।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: गुणक - दुर्घटना के समय मृतक की आयु 21-22 वर्ष के बीच थी - इसलिए, गुणक को मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए अपनाया/लागू किया जाना चाहिए न कि माता-पिता की आयु को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार गुणक 18 लागू होगा।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: न्यायसंगत मुआवजे के लिए दावेदारों का हक - दावेदार न्यायसंगत मुआवजे के हकदार हैं - केवल इसलिए कि निष्पादन कार्यवाही में उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार किया होगा, यह दावेदारों के उचित मुआवजे का दावा करने के अधिकार को नहीं खोएगा और उन्हें मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का दावा करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिए वे हकदार हैं- इस प्रकार, मोटर वाहन अधिनियम एक परोपकारी अधिनियम है और दावेदार उचित मुआवजे के हकदार हैं। इस प्रकार, भारत संघ को इस तरह की याचिका/बचाव नहीं लेना चाहिए था।

आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित : 1. दुर्घटना के समय मृतक की आयु 21-22 वर्ष थी और वह सिविल इंजीनियरिंग में तीसरे वर्ष का छात्र था। ट्रिब्यूनल ने भविष्य के आर्थिक नुकसान के शीर्ष के तहत मुआवजा देने के उद्देश्य से मृतक की आय 15,000 रुपये प्रति माह आंकी। हालांकि, विवादित फैसले से, उच्च न्यायालय ने मुआवजे को कम कर दिया और मृतक की आय 5,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की। मृतक की आय को 5,000/- रुपये मानते हुए दावेदारों को भविष्य के आर्थिक नुकसान का पुरस्कार देना बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। यहां तक कि श्रमिकों/कुशल मजदूरों को भी वर्ष 2012 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 5,000 रुपये प्रति माह मिल रहे थे। चूंकि मृतक सिविल इंजीनियरिंग के तीसरे/चौथे सेमेस्टर में पढ़ रहा था, इसलिए उसे मजदूरों/कुशल मजदूरों से भी बदतर नहीं माना जा सकता है। इसलिए शैक्षिक योग्यता और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, मृतक का सिविल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में पढ़ने का भविष्य उज्ज्वल था, मृतक की आय को कम से कम 10,000/- प्रति माह माना जाना चाहिए था, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि श्रमिकों/कुशल मजदूरों को वर्ष 2012 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भी प्रति माह 5,000/- रुपये मिल रहे थे। [अनुच्छेद 8]

2. एक मृतक के मामले में, जो दुर्घटना/मृत्यु के समय कमाई नहीं कर रहा था और/या कोई नौकरी नहीं कर रहा था और/या स्व-नियोजित था, उसकी आय वर्णित परिस्थितियों को देखते हुए अनुमान पर निर्धारित की जानी है। एक बार जब ऐसी राशि प्राप्त हो जाती है तो वह आय में भविष्य की संभावना/भविष्य की वृद्धि पर जोड़ का हकदार होगा। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि जीवन यापन की लागत में वृद्धि भी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित करेगी। जैसा कि प्रणय सेठी के मामले में इस अदालत

ने कहा, मुआवजे की गणना करते समय आय के निर्धारण में भविष्य की संभावनाओं को शामिल करना होगा ताकि विधि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 168 के तहत अभिनिर्धारित न्यायसंगत मुआवजे के दायरे में आ जाए। एक मृतक के मामले में, जिसने वार्षिक वृद्धि के अंतर्निहित अनुदान के साथ एक स्थायी नौकरी की थी और/या एक मृतक के मामले में, जो एक निश्चित वेतन पर था और/या स्व-नियोजित था, केवल भविष्य की संभावनाओं का लाभ प्राप्त करेगा और मृतक के कानूनी प्रतिनिधि जो प्रासंगिक समय पर सेवा नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी कम उम्र में मृत्यु हो गई थी और अध्ययन कर रहे थे, मुआवजे की गणना के उद्देश्य से भविष्य की संभावनाओं के लाभ के हकदार नहीं हो सकते थे। क्योंकि मूल्यवृद्धि उन्हें भी प्रभावित करती है और जीविकोपार्जन के लिए अपनी आय बढ़ाने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास किया जाता है। यह उम्मीद नहीं की जाती है कि मृतक जो बिल्कुल भी सेवा नहीं कर रहा था, उसकी आय स्थिर रहने की संभावना है और उसकी आय स्थिर रहेगी। जैसा कि प्रणय सेठी में देखा गया है कि स्थिर रहना मानव दृष्टिकोण की मौलिक अवधारणा के विपरीत है जो हमेशा गतिशीलता के साथ रहने और समय के साथ चलने और बदलने का इरादा रखता है। यहां तक कि ऐसे मृतक के मामले में जो मृत्यु के समय सेवा नहीं कर रहा था और मृत्यु के समय उसकी कोई आय नहीं थी, उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी भविष्य में आय में वृद्धि जोड़कर भविष्य की संभावनाओं के हकदार होंगे, जैसा कि इस मामले में इस अदालत द्वारा माना गया है। प्रणय सेठी यानी शैक्षणिक योग्यता, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि को ध्यान में रखते हुए अनुमान के आधार पर निर्धारित आय में 40% का जोड़, जहां मृतक की आयु 40 वर्ष से कम हो। [अनुच्छेद 11]

3. दुर्घटना के समय मृतक की आयु 21-22 वर्ष के बीच थी। इसलिए, गुणक को मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए अपनाया/लागू किया जाना चाहिए न कि माता-पिता की आयु को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार गुणक 18 लागू होगा। अब जहां तक भारत संघ की ओर से यह निवेदन है कि निष्पादन कार्यवाहियों में दावेदारों ने विवादित निर्णय और आदेश के तहत देय और देय राशि को स्वीकार कर लिया है और उसे पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार कर लिया है, उसके बाद दावेदारों को मुआवजे में वृद्धि के लिए अपील नहीं करनी चाहिए, उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दावेदार न्यायसंगत मुआवजे के हकदार हैं। केवल इसलिए कि निष्पादन कार्यवाहियों में उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार किया होगा, यह दावेदारों के न्यायसंगत मुआवजे का दावा करने के अधिकार को नहीं खोएगा और उन्हें मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का दावा करने से नहीं रोकेगा, जिसके वे हकदार हैं। इस प्रकार, मोटर वाहन अधिनियम एक परोपकारी अधिनियम है और दावेदार उचित मुआवजे के हकदार हैं। इस प्रकार, भारत संघ को इस तरह की याचिका/बचाव नहीं लेना चाहिए था। [अनुच्छेद 12,13]

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य **(2017) 16 एससीसी 680: [2017] 13 एससीआर 100-पर भरोसा किया।**

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

[2017] 13 एससीआर 100	**पर भरोसा**	**अनुच्छेद 10**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6724/2021।

विविध आवेदन संख्या 1319/2016 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर की पीठ के दिनांक 18.02.2020 के निर्णय और आदेश से।

यदुनंदन बंसल, रवि पंवार, अपीलार्थियों के अधिवक्ता।

सुश्री माधवी दीवान एएसजी, सुश्री सीमा बेनगनी, अदित खुराना, सुश्री प्रियंका दास, सुश्री विमला सिन्हा, सुश्री निधि खन्ना, सुश्री अदिता मिश्रा, किशोर मिश्रा, अमरीश कुमार, प्रत्यर्थियों के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति

1. ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा 2016 के विविध अनुप्रयोग सं. 1319 मंए 18.02.2020 को पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने भारत संघ/रेलवे द्वारा की गई उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार

कर लिया है और मुआवजे की राशि को 12,85,000/- (दावा विद्वत अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत) से घटाकर 6,10,000/- कर दिया है, मूल दावेदारों ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. 12.09.2012 को हुई एक दुर्घटना में मूल दावेदारों के पुत्र श्री प्रशांत की मृत्यु हो गई। दुर्घटना के समय मृतक अविवाहित था, जिसकी आयु 21 वर्ष थी और वह **बी.इ** के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था। मूल दावेदार-मृतक की मां, पिता, भाई और बहन ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर की, जो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मामला संख्या 1/2013 है, जिसमें विभिन्न शीर्षों पर मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये का दावा किया गया है। मूल दावेदारों की ओर से यह मामला था कि संबंधित समय पर मृतक 8,000/- रुपये प्रति माह कमा रहा था क्योंकि वह अन्य छात्रों के ट्यूशन में लगा हुआ था। साक्ष्यों की सराहना पर विद्वत अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक की मृत्यु दुर्घटना में शामिल ट्रक के चालक की ओर से लापरवाही और लापरवाही के कारण हुई। विद्वत अधिकरण ने मृतक की मासिक आय 15,000/- रुपये प्रति माह के रूप में आंकी, दावेदारों की ओर से मामले को अस्वीकार करते हुए कि उसे एक नेक्टल कंस्ट्रक्शन कंपनी से वेतन के रूप में 25,000/- रुपये मिल रहे थे। विद्वान विद्वत अधिकरण ने मृतक द्वारा निजी ट्यूशन से प्रति माह 8,000/- रुपये की कमाई के तथ्य पर भी अविश्वास किया। तथापि, कम आयु और शैक्षिक योग्यता पर विचार करते हुए, विद्वत अधिकरण ने भविष्य में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति और उसकी भावी संभावना को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में 15,000/- रुपये प्रति माह आय की हानि पर विचार किया। विद्वत न्यायाधिकरण ने उनके व्यक्तिगत खर्चों पर 1/2 की कटौती की क्योंकि वे कुंवारे थे। हालांकि, विद्वत विद्वत अधिकरण ने मृतक के माता-पिता की आयु के आधार पर गुणक लागू किया और परिणामस्वरूप 14 गुणक लागू किया और भविष्य में आय के नुकसान के लिए 12,60,000/- रुपये का आदेश दिया। विद्वान विद्वत अधिकरण ने अन्य शीर्ष के तहत 25,000/- रुपये का भी आदेश दिया, अर्थात् मृतक के अंतिम संस्कार के शीर्ष पर। सभी में विद्वत अधिकरण ने प्रति वर्ष 7.5% ब्याज के साथ 12,85,000/- रुपये दिए।

3. विद्वत अधिकरण द्वारा दिनांक 16.09.2016 को पारित किए गए निर्णय और अधिनिर्णय से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल दावेदारों के साथ-साथ भारत संघ दोनों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग अपीलें की। भारत संघ ने विविध आवेदन संख्या 1276/2016 को प्राथमिकता दी और

मूल दावेदारों ने विविध आवेदन संख्या 1319/2016 को प्राथमिकता दी। विवादित फैसले और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने मुआवजे की राशि को 12,85,000/- रुपये से घटाकर 6,10,000/- रुपये कर दिया है, जो मृतक की आय का आकलन 15,000/- रुपये प्रति माह के बजाय 5,000/- रुपये प्रति माह है। उच्च न्यायालय ने विद्वत अधिकरण द्वारा की गई त्रुटि को ठीक किया और मृतक की आयु पर विचार करते हुए गुणक लागू किया और 18 का गुणक लागू किया और आय के भविष्य के नुकसान के शीर्ष के तहत 5,40,000/- रुपये का आदेश दिया। इसके बाद इसने संपत्ति के नुकसान के रूप में 15,000 रुपये, अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 15,000 रुपये और प्यार और स्नेह के नुकसान के रूप में 40,000 रुपये का पुरस्कार दिया है। उच्च न्यायालय ने विद्वत अधिकरण द्वारा दिए गए 12,85,000/- रुपये के बजाय कुल 6,10,000/- रुपये की राशि का आदेश दिया है।

4. उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजे की राशि को 12,85,000/- रुपये से घटाकर 6,10,000/- रुपये करने के विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, भविष्य में 5,000/- रुपये प्रति माह आय के नुकसान का निर्धारण करते हुए, मूल दावेदारों ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

5. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता - मूल दावेदारों ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि शैक्षिक योग्यता और उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने मृतक की आय को केवल 5,000 रुपये प्रति माह पर विचार करने में गंभीर त्रुटि की है।

5.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि दुर्घटना के समय मृतक की आयु 21-22 वर्ष थी और वह **बी.इ** में पढ़ रहा था और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्ष 2012 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भी मजदूरों को 5,000/- रुपये प्रति माह मिल रहे थे, उच्च न्यायालय को मृतक की आय 5,000/- रुपये प्रति माह पर विचार नहीं करना चाहिए था।

5.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने आय के भविष्य के नुकसान का निर्णय देते समय आय में भविष्य में वृद्धि पर विचार नहीं किया है।

6. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान **अधिवक्ता**उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश का समर्थन करने की स्थिति में नहीं है, जिसमें मृतक की आय 5,000/- रुपये प्रति माह होने पर विचार करते हुए भविष्य में आय के नुकसान का निर्णय दिया गया है। हालांकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि मृतक दुर्घटना के समय कुछ भी नहीं कमा रहा था और जैसा कि दावेदारों की ओर से मामला है कि वह नेक्टल कंस्ट्रक्शन कंपनी से वेतन के रूप में 25,000 रुपये कमा रहा था और वह निजी ट्यूशन से 8,000 रुपये कमा रहा था और इस तरह वह मृत्यु के समय बिल्कुल भी कमाई नहीं कर रहा था, इसलिए भविष्य में आय के नुकसान का निर्धारण करते समय आय में कोई वृद्धि नहीं होगी। भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि निष्पादन कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई पूरी राशि का भुगतान किया जाता है, दावेदारों ने कहा है कि वे इसे पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार करते हैं और इसलिए वर्तमान अपील पर विचार नहीं किया जा सकता है।

7. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

8. शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दुर्घटना के समय मृतक की आयु 21-22 वर्ष थी और वह सिविल इंजीनियरिंग में तीसरे वर्ष का छात्र था। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि अपनी शैक्षिक योग्यता को देखते हुए उनका भविष्य उज्ज्वल था। विद्वान अधिकरण ने भविष्य के आर्थिक नुकसान के शीर्ष के तहत मुआवजा देने के उद्देश्य से मृतक की आय का आकलन 15,000/- रुपये प्रति माह किया। हालांकि, विवादित फैसले और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने मुआवजे को कम कर दिया है और मृतक की आय 5,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की है। मृतक की आय को 5,000/- रुपये मानते हुए दावेदारों को भविष्य के आर्थिक नुकसान का पुरस्कार देना बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। यहां तक कि श्रमिकों/कुशल मजदूरों को भी वर्ष 2012 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 5,000 रुपये प्रति माह मिल रहे थे। चूंकि मृतक सिविल इंजीनियरिंग के तीसरे/चौथे सेमेस्टर में पढ़ रहा था, इसलिए उसे मजदूरों/कुशल मजदूरों से भी बदतर नहीं माना जा सकता है। यहां तक कि भारत संघ की ओर से पेश अधिवक्ता ने भी उचित रूप से स्वीकार किया है कि भविष्य के आर्थिक नुकसान के शीर्ष के तहत मुआवजा देने के उद्देश्य से मृतक की आय का आकलन 5,000/- रुपये प्रति माह करना कम पक्ष में कहा जा सकता है और इस तरह यह उचित नहीं है।

भविष्य के आर्थिक नुकसान की घोषणा करते समय, जब मृतक की 21-22 वर्ष की कम आयु में मृत्यु हो गई थी और मृत्यु/दुर्घटना के समय कमाई नहीं कर रहा था, तो इस अदालत के निर्णयों के अनुसार, भविष्य के आर्थिक नुकसान का निर्धारण करने के उद्देश्य से आय हमेशा कई परिस्थितियों जैसे कि शैक्षिक योग्यता और परिवार की पृष्ठभूमि आदि को ध्यान में रखते हुए अनुमान के आधार पर की जाती है। इसलिए शैक्षिक योग्यता और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए और जैसा कि ऊपर देखा गया है, सिविल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में पढ़ने वाले मृतक का भविष्य उज्ज्वल था, हमारी राय है कि मृतक की आय को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह माना जाना चाहिए था, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मजदूर/कुशल मजदूर वर्ष 2012 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भी प्रति माह 5,000 रुपये प्राप्त कर रहे थे।

9. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या भविष्य में आय में वृद्धि के लिए और कुछ जोड़ने की आवश्यकता है? भारत संघ की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि मृतक दुर्घटना/मृत्यु के समय सेवा नहीं कर रहा था और कमाई नहीं कर रहा था, इसलिए आय में भविष्य की संभावना/भविष्य की वृद्धि के लिए आगे कुछ नहीं जोड़ा जाना है। उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

10. इस स्तर पर, **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य** (2017) 16 एस. सी. सी. 680 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को बहु-राशि निर्धारित करने के लिए भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने पर संदर्भित करने और विचार करने की आवश्यकता है। उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय की संविधान पीठ के पास भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने के औचित्य पर विस्तार से विचार करने का अवसर था। उपर्युक्त निर्णय में यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि आय का निर्धारण करते समय, भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की आय में वास्तविक वेतन का 50% जोड़ा जाना चाहिए, जहां मृतक की स्थायी नौकरी थी और 40 वर्ष से कम आयु का था। अतिरिक्त 30% होना चाहिए, यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी। यदि मृतक 50 से 60 वर्ष की आयु के बीच था, तो अतिरिक्त 15% होना चाहिए। वास्तविक वेतन को वास्तविक वेतन रहित कर के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यह भी माना जाता है कि यदि मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था, तो स्थापित आय का

40% अतिरिक्त वारंट होना चाहिए जहां मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी। 25% का जोड़ जहां मृतक 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच था और 10% जहां मृतक 50 से 60 वर्ष की आयु के बीच था, को गणना की आवश्यक विधि माना जाना चाहिए। यह भी माना जाता है कि स्थापित आय का अर्थ है आय को कर घटक से घटाना। अनुच्छेद 54 से 57 में ऐसा मानते हुए, यह निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया जाता हैः –

"54. संतोष देवी [संतोष देवी बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, (2012) 6 एस. सी. सी. 421] में न्यायालय ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है कि एक स्व-नियोजित व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक निश्चित वेतन पर रहता है। इसने जीवन यापन की लागत में वृद्धि पर ध्यान दिया है जो अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर किए बिना सभी को प्रभावित करता है। इस श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए किए गए अतिरिक्त प्रयासों पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया गया है कि निजी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के वेतन में भी समय के साथ कई गुना वृद्धि होती है। राजेश मामले में [सरला वर्मा बनाम डीटीसी, (2009) 6 एससीसी 121], न्यायालय ने उस मामले में 15% जोड़ा था जहां पीड़ित 15 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के बीच है ताकि मुआवजे को न्यायसंगत, न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित बनाया जा सके। यह जोड़ स्व-नियोजित या निश्चित मजदूरी पर लगे लोगों के संबंध में किया गया है।

55. अधिनियम की धारा 168 "न्यायसंगत मुआवजे" की अवधारणा से संबंधित है और इसे स्वीकार्य कानूनी मानक पर निष्पक्षता, तर्कसंगतता और समानता की नींव पर निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा निर्धारण कभी भी अंकगणितीय सटीकता में नहीं हो सकता है। यह कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता है। इसका उद्देश्य एक व्यक्तिगत मामले में रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के आधार पर अंकगणितीय परिशुद्धता के लिए एक स्वीकार्य डिग्री की निकटता प्राप्त करना है। "न्यायसंगत क्षतिपूर्ति" की अवधारणा को निष्पक्षता, तर्कसंगतता और समानता के सिद्धांत के अहिंसा के चश्मे से देखा जाना चाहिए। मृत्यु के मामले में, दावेदारों के कानूनी उत्तराधिकारी अप्रत्याशित परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। साथ ही, दिया गया मुआवजा मुआवजे के लिए माफी नहीं हो सकता है। यह कोई मामूली रकम नहीं हो सकती। यद्यपि अधिकरण में निहित विवेकाधिकार काफी व्यापक है, फिर भी अधिकरण की ओर से यह अभिव्यक्ति, अर्थात्

"न्यायसंगत क्षतिपूर्ति" द्वारा निर्देशित होना अनिवार्य है। मृतक की आयु और आय के संबंध में अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य और उसके बाद लागू किए जाने वाले गुणक के आधार पर निर्धारण किया जाना चाहिए। गुणक से संबंधित सूत्र सरला वर्मा *[सरला वर्मा बनाम डीटीसी, (2009) 6 एससीसी 121]* में स्पष्ट रूप से बताया गया है और इसे रेशमा कुमारी *[रेशमा कुमारी बनाम मदन मोहन, (2013) 9 एससीसी 65]* में अनुमोदित किया गया है। आयु और आय, जैसा कि पहले कहा गया है, को साक्ष्य प्रस्तुत करके स्थापित किया जाना चाहिए। अधिकरण और न्यायालयों को यह ध्यान रखना होगा कि मूल सिद्धांत व्यावहारिक गणना में निहित है जो वास्तविकता के निकट है। यह एक अच्छी तरह से स्वीकृत मानदंड है कि धन खोए हुए जीवन का स्थान नहीं ले सकता है, लेकिन दृष्टिकोण की एकरूपता के साथ न्यायसंगत मुआवजा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। दो चरम सीमाओं के बीच एक संतुलन होना चाहिए, यानी, एक अप्रत्याशित और अल्पांश, एक उपहार और अल्पांश। इस तरह के निर्णय में, अधिकरण और न्यायालयों का कर्तव्य कठिन है और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा मानकीकरण के लिए एक प्रयास किया गया है जिसमें इसके दायरे में वर्तमान में सिद्ध आय पर भविष्य की संभावनाओं को जोड़ना शामिल है। जहां तक भविष्य की संभावनाओं का सवाल है, निश्चितता, स्थिरता और निरंतरता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मानकीकरण किया गया है। हम "मानकीकरण" के सिद्धांत को मंजूरी देते हैं ताकि उम्र के आधार पर गुणक को लागू करने के लिए एक विशिष्ट और निश्चित गुणक निर्धारित किया जा सके।

56. मौलिक मुद्दा मृतक के मामलों में भविष्य की संभावनाओं का निर्धारण है जो स्व-नियोजित हैं या एक निश्चित वेतन पर हैं। सरला वर्मा *[सरला वर्मा बनाम डीटीसी, (2009) 6 एससीसी 121]* ने एक अपवाद तैयार किया है जिसमें दावेदारों को भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने का लाभ प्राप्त करने के लिए सामग्री को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति दी गई है। इसने, अपने आप में, उक्त श्रेणी के संबंध में भविष्य की किसी भी संभावना की अनुमति नहीं दी है।

57. अपनी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि जब हम मानकीकरण के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, तो स्व-नियोजित या एक निश्चित वेतन पर रहने वाले व्यक्ति पर उक्त सिद्धांत को लागू नहीं करने का वास्तव में कोई तर्क नहीं है। मृत्यु के समय

वास्तविक आय के सिद्धांत का पालन करना और गुणक के निर्धारण के उद्देश्य से आय में भविष्य की संभावनाओं के संबंध में कोई राशि नहीं जोड़ना अन्यायपूर्ण होगा। मुआवजे की गणना करते समय आय के निर्धारण में भविष्य की संभावनाओं को शामिल करना होगा ताकि विधि अधिनियम की धारा 168 के तहत अभिनिर्धारित न्यायसंगत मुआवजे के दायरे में आ जाए। एक मृतक के मामले में, जिसने वार्षिक वृद्धि के अंतर्निहित अनुदान के साथ स्थायी नौकरी की थी, एक स्वीकार्य निश्चितता है। लेकिन यह कहना कि एक मृतक के कानूनी प्रतिनिधि जो एक निश्चित वेतन पर थे, मुआवजे की गणना के उद्देश्य से भविष्य की संभावनाओं के लाभ के हकदार नहीं होंगे, अनुचित होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस घटना में दोनों के बीच अंतर का मानदंड एक ओर निश्चितता और दूसरी ओर स्थिरता होगी। कोई यह समझ सकता है कि तुलनात्मक उपाय एक ओर निश्चितता और दूसरी ओर अनिश्चितता है, लेकिन ऐसी धारणा गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल्यवृद्धि एक स्व-नियोजित व्यक्ति को प्रभावित करती है और इसके अलावा जीविकोपार्जन के लिए अपनी आय बढ़ाने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास किया जाता है। स्थायी नौकरी पर एक वेतनभोगी व्यक्ति की क्रय क्षमता जब वेतन वृद्धि और वेतन संशोधन या सेवा शर्तों में किसी अन्य बदलाव के कारण बढ़ती है, तो कर्मचारियों से बेहतर दक्षता प्राप्त करने के लिए वेतन बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र में हमेशा एक प्रतिस्पर्धी रवैया होता है। इसी तरह, एक व्यक्ति जो स्व-नियोजित है, वह अपने संसाधनों को जुटाने और अपने शुल्क/शुल्क बढ़ाने के लिए बाध्य है ताकि वह समान सुविधाओं के साथ रह सके। यह धारणा रखना कि उसके स्थिर रहने और उसकी आय स्थिर रहने की संभावना है, मानव दृष्टिकोण की मौलिक अवधारणा के विपरीत है जो हमेशा गतिशीलता के साथ रहने और समय के साथ चलने और बदलने का इरादा रखता है। यद्यपि यह उचित प्रतीत हो सकता है कि स्थायी नौकरी रखने वाले व्यक्ति के मामले के विपरीत वर्तमान आय में भविष्य की संभावनाओं के अतिरिक्त निश्चितता नहीं हो सकती है, फिर भी उक्त धारणा वास्तव में स्वीकृति के योग्य नहीं है। हम यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि उस प्रतिशत के संबंध में कुछ अंतर हो सकता है जो उन कानूनी प्रतिनिधियों के लिए है या लागू किया जाता है जो मृतक की ओर से दावा करते हैं, जिनके पास स्थायी नौकरी थी, एक व्यक्ति जो स्व-नियोजित है या एक निश्चित वेतन पर है। लेकिन मानकीकरण के सिद्धांत को निश्चितता की कथित कमी की नींव पर लागू नहीं करना जमीनी वास्तविकता के मज्जा से अनजान रहने के समान होगा। और, इसलिए, डिग्री-टेस्ट अनिवार्य है। जब तक डिग्री-परीक्षण लागू नहीं किया जाता है और पक्षकारों को स्थापित करने के लिए सबूत पेश करने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता है, यह अनुचित और असमान होगा। डिग्री-

परीक्षण में प्रतिशत की अंतर्निहित अवधारणा होनी चाहिए। संचयी कारकों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात्, समय बीतने, बदलते समाज, मूल्य में वृद्धि, मूल्य सूचकांक में परिवर्तन, जीवन के एक विशेष पैटर्न का पालन करने के लिए मानव दृष्टिकोण, आदि, भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की स्थापित आय का 40% का जोड़ और जहां मृतक 40 वर्ष से कम था, 25% का जोड़ जहां मृतक 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच था, उचित होगा।

11. हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि उपरोक्त सिद्धांत, जो वेतनभोगी व्यक्ति और/या मृतक स्व-नियोजित और/या एक निश्चित वेतनभोगी मृतक पर लागू होता है, मृतक पर लागू नहीं किया जा सकता है, जो दुर्घटना/मृत्यु के समय सेवारत नहीं था और/या कोई आय नहीं था। एक मृतक के मामले में, जो दुर्घटना/मृत्यु के समय कमाई नहीं कर रहा था और/या कोई नौकरी नहीं कर रहा था और/या स्व-नियोजित था, जैसा कि उसकी आय के ऊपर देखा गया है, ऊपर वर्णित परिस्थितियों को देखते हुए अनुमान पर निर्धारित किया जाना है। एक बार जब ऐसी राशि प्राप्त हो जाती है तो वह आय में भविष्य की संभावना/भविष्य की वृद्धि पर जोड़ का हकदार होगा। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि जीवन यापन की लागत में वृद्धि भी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित करेगी। जैसा कि इस न्यायालय ने प्रणय सेठी (पूर्वोक्त) के मामले में कहा है कि मुआवजे की गणना करते समय आय के निर्धारण में भविष्य की संभावनाओं को शामिल करना होगा ताकि विधि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 168 के तहत अभिनिर्धारित न्यायसंगत मुआवजे के दायरे में आ जाए। एक मृतक के मामले में, जिसने वार्षिक वृद्धि के अंतर्निहित अनुदान के साथ एक स्थायी नौकरी की थी और/या एक मृतक के मामले में, जो एक निश्चित वेतन पर था और/या स्व-नियोजित था, केवल भविष्य की संभावनाओं का लाभ प्राप्त करेगा और मृतक के कानूनी प्रतिनिधि जो प्रासंगिक समय पर सेवा नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी कम उम्र में मृत्यु हो गई थी और अध्ययन कर रहे थे, मुआवजे की गणना के उद्देश्य से भविष्य की संभावनाओं के लाभ के हकदार नहीं हो सकते थे। क्योंकि मूल्यवृद्धि उन्हें भी प्रभावित करती है और जीविकोपार्जन के लिए अपनी आय बढ़ाने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास किया जाता है। यह उम्मीद नहीं की जाती है कि मृतक जो बिल्कुल भी सेवा नहीं कर रहा था, उसकी आय स्थिर रहने की संभावना है और उसकी आय स्थिर रहेगी। जैसा कि प्रणय सेठी (पूर्वोक्त) में देखा गया है कि यह धारणा होना कि उसके स्थिर रहने की संभावना है और उसकी आय स्थिर रहने के लिए मानव दृष्टिकोण की मौलिक अवधारणा के विपरीत है जो हमेशा गतिशीलता के साथ रहने और समय के साथ चलने और बदलने का इरादा रखता है। इसलिए हमारी राय है कि ऐसे मृतक के मामले में भी, जो मृत्यु के समय सेवा नहीं कर रहा था और जिसकी मृत्यु के समय कोई आय नहीं थी, उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी आय में भविष्य की वृद्धि को जोड़कर भविष्य की संभावनाओं के हकदार होंगे, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा प्रणय सेठी (पूर्वोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, अर्थात शैक्षिक योग्यता, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि को ध्यान में रखते हुए अनुमान पर निर्धारित आय का 40%, जहां मृतक 40 वर्ष से कम आयु का था।

12. उपर्युक्त के आलोक में, वर्तमान मामले में, दावेदार भविष्य में Rs.14,000/- प्रति माह के आर्थिक नुकसान के हकदार होंगे। दुर्घटना के समय मृतक की आयु 21-22 वर्ष के बीच थी। इसलिए, गुणक को मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए अपनाया/लागू किया जाना चाहिए न कि माता-पिता की आयु को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार गुणक 18 लागू होगा। इसलिए, दावेदार भविष्य के आर्थिक नुकसान के लिए **15,12,000/- रुपये** के हकदार होंगे। दावेदार संपत्ति के नुकसान के लिए 15,000 रुपये, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000 रुपये और प्यार और स्नेह के नुकसान के लिए 40,000 रुपये के हकदार होंगे। इस प्रकार, दावेदार दावा याचिका की तारीख से प्राप्ति तक 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ **15,82,000/- रुपये** की कुल राशि के हकदार होंगे।

13. अब जहां तक भारत संघ की ओर से यह निवेदन है कि निष्पादन कार्यवाहियों में दावेदारों ने विवादित निर्णय और आदेश के तहत देय और देय राशि को स्वीकार कर लिया है और उसे पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार कर लिया है, उसके बाद दावेदारों को मुआवजे में वृद्धि के लिए अपील नहीं करनी चाहिए, उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दावेदार न्यायसंगत मुआवजे के हकदार हैं। केवल इसलिए कि निष्पादन कार्यवाहियों में उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार किया होगा, यह दावेदारों के न्यायसंगत मुआवजे का दावा करने के अधिकार को नहीं खोएगा और उन्हें मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का दावा करने से नहीं रोकेगा, जिसके वे हकदार हैं। इस प्रकार, मोटर वाहन अधिनियम एक हितकारी अधिनियम है और जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, दावेदार न्यायसंगत मुआवजे के हकदार हैं। इस प्रकार, भारत संघ को इस तरह की याचिका/बचाव नहीं लेना चाहिए था।

14. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील आंशिक रूप से सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को संशोधित किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दावेदार दावा याचिका की तारीख से 7% की दर से ब्याज के साथ **15,82,000/- रुपये** की कुल राशि के हकदार होंगे।

15. अब अपीलार्थी आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर विद्वत अधिकरण के साथ वर्तमान निर्णय और आदेश के अनुसार मुआवजे की बढ़ी हुई राशि जमा करेंगे और विद्वत अधिकरण द्वारा माता-पिता के नाम पर निवेश की जाने वाली मुआवजे की बढ़ी हुई राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में 3 वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा में जमा करेंगे, हालांकि, माता-पिता उसी पर आवधिक ब्याज के हकदार होंगे।

16. वर्तमान अपील को सांकेतिक लागत के साथ उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति दी गई है, जिसकी मूल दावेदारों को 10,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया जाना है, जिसे आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर विद्वत अधिकरण में जमा किया जाना है और मूल दावेदारों को इसका भुगतान किया जा सकता है।

देविका गुजराल अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

दिब्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।